

कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव

पत्रांक ५१३५ /अभि०वि०/२०२३-२४/६५५)

दिनांक : २३-२-२०२४

अल्प कालीन ई-निविदा सूचना (e-Tender Notice)

कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा ई-निविदा पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर शासनादेश सं०- ३८९०/नौ-५-१९-१४९सा/२०१९ दिनांक २०-०९-२०१९ के अनुसार ठेकेदारों/फर्मों से राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड की धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदा प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती है, उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पालिका की वेबसाइट <http://unnaonpp.in> पर भी देखी जा सकती है। समस्त बिड डाक्यूमेंट नियम/शर्तें तथा निविदा प्रपत्र उल्लिखित ई-निविदा पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निम्नानुसार देखी व डाली जा सकती हैं।

(a)	Publish Date	24-02-2024
(b)	E-tender Downloading Date and Time	24-02-2024, 02:00 PM
(c)	Last Date and Time for Submission of E-bid	04-03-2024, 02:00 PM
(d)	Date and Time of opening technical bid.	04-03-2024, 03:00 PM
(e)	Date and Time of opening Financial bid.	After technical bid evaluation.
(f)	E-Tender Document Processing fees.	24-02-2024 to 04-03-2024

अधिशामी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

पृष्ठांकन:- पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

- 1) जिलाधिकारी महोदया उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।
- 4) सम्पादक दैनिक अमर उजाला उन्नाव को (दिनांक २४-०२-२०२४ के अंक में प्रकाशन हेतु) व राष्ट्रीय सहारा उन्नाव को (दिनांक २५-०२-२०२४ के अंक में प्रकाशन हेतु) सरकारी दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशामी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
0/c

Received.
Kausubh Kishore
Amar Ujalee.
29-02-24

कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव

ई-निविदा सूचना

राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड योजना की धनराशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पालिका परिषद उन्नाव सीमान्तगत कराये जाने वाले निर्माण (सिविल) कार्य हेतु शासनादेश सं०- 3890/नौ-5-19-149सा/ 2019 दिनांक 20-09-2019 के अनुसार ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता द्वारा निविदा प्रतिशत दर पर डाली जायेगी। भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा, स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय पालिका अपने संसाधनों से करेगी। कार्यों का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	कार्य सं०	कार्य का नाम	वार्ड सं०	आगणन कार्य धनांक (BOQ Amount)	टेण्डर फार्म की कीमत GST सहित	10% धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फर्म/ ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01	वार्ड सं० 18 मो० पी०डी० नगर में अविनाश मिश्रा पुत्र स्व० रामचन्द्र मिश्रा एचआईजी बी१६सी से दिलीप सिंह भदौरिया के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	18	1173147.00	1523.00	117315.00	डेढ़ माह	A,B,C,D

(a)	Publish Date	
(b)	E-tender Downloading Date and Time	24-02-2024
(c)	Last Date and Time for Submission of E-bid	24-02-2024, 02:00 PM
(d)	Date and Time of opening technical bid.	04-03-2024, 02:00 PM
(e)	Date and Time of opening Financial bid.	04-03-2024, 03:00 PM
(f)	E-Tender Document Processing fees.	After technical bid evaluation.
		24-02-2024 to 04-03-2024

निविदा की शर्तें

- 1- निविदा की विस्तृत विवरण व शर्तें <http://etender.up.nic.in> पर एवं पालिका वेबसाइट <http://unnaonpp.in> एवं नगर पालिका परिषद उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस में देखा एवं पढ़ा जा सकता है।
- 2- प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि कॉलम नं० (8) में दर्शायी गयी है।
- 3- कॉलम नं० 7 में अंकित 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जो निविदा के साथ एस०ओ०पी० के बिन्दु सं० 5.8 के अनुसार ई०पी०वी०जी०, एफ०डी०आर०, एन०एस०सी०/टेजरी चालान इत्यादि के माध्यम से जमा की जायेगी, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उन्नाव के नाम बंधक होगी। एक से अधिक निविदा डालने पर प्रत्येक कार्य के साथ प्रथक-प्रथक धरोहर धनराशि की मूल प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, धरोहर धनराशि के रूप में लगायी गयी एफ०डी०आर० आदि की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
- 4- कॉलम नं० 6 में अंकित निविदा शुल्क नगर पालिका परिषद उन्नाव के खाता सं० 3355000101355913 पंजाब नैशनल बैंक हाकिम टोला (मुख्य शाखा) उन्नाव में चालान फार्म/आर०टी०जी०एस०/ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसकी प्रति निविदा के साथ अपलोड एवं संलग्न करना अनिवार्य होगा। चालान फार्म कार्यालय कार्य दिवस में पालिका से अथवा सम्बन्धित बैंक से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- 5- निविदा स्वीकार करने की वैधता निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90 दिन) होगी।
- 6- कार्य किसी भी अन्य ठेकेदार/पेटी कान्ट्रेक्टर को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद यदि हस्तान्तरित की स्थिति पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले। निविदा के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 8- निविदा प्रपत्रों में संलग्न **Bill of Quantity** में दर्शित कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है।
- 9- शासनादेश संख्या- 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30-06-2021 नगर विकास अनुभाग-9 (Standard Operating Procedure SOP) के बिन्दु सं० 5.5 के अनुसार किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- 10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अनुबन्ध लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
- 12- यदि प्रथम पक्ष संलग्नक में दिए गए पदों को निर्धारित समय के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं करता है तो उस पर अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत तक अर्थ दंड लगाते हुए अनुबन्ध निरस्त कर, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा तथा 10 प्रतिशत जमा जमानत भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- 13- अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

- 14- ठेकेदार को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल) के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। निर्माण कार्य का निरीक्षण अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी द्वारा अथवा अधिकृत सदस्यों द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्य मानक के अनुसार न करने पर अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी के आदेशानुसार भुगतान बिल से कटौती की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 15- यह कि सम्बन्धित कार्य की 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि शासनादेश सं० 1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 30 जून 2021 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात अभियन्ता यह प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है तथा कार्य संतोषजनक है, कार्य का उपभोग सही ढंग से किया जा रहा है। तत्पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 16- किसी विवाद की दशा में अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद, उन्नाव का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्ष को मान्य होगा।
- 17- ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।
- 18- निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
- 19- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान सम्बन्धित निधि/राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।
- 20- स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नहीं होगी।
- 21- यह कि शासनादेश सं०- 622/23-12-2ऑडिट/03टीसी दिनांक 08-06-2012 लोक निर्माण अनुभाग-12 के अनुसार विलो निविदा डालने पर उक्त शासनादेश के अनुसार अलग से परफार्मेंस गारन्टी जमा करना अनिवार्य होगा।
- 22- यह कि शासनादेश सं०- 3890/9-5-19-149सा/2019 दिनांक 20-09-2019 नगर विकास अनुभाग-5 के अनुसार स्थानीय निकायों में निर्माण एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने के लिये आवेदक निविदादाता का निकाय में पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। निविदादाता की न्यूनतम निविदा प्राप्त/स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित नगर पालिका परिषद में नियमानुसार निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख जमा कर पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा की दशा में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 23- शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26-02-2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
- 24- कार्य की गुणवत्ता की जाँच के समय सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को कार्य स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो फर्म/ठेकेदार से की गयी कटौती आदि भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
- 25- स्वीकृत निविदा से 10 प्रतिशत तक ही विचलन सामान्यतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृतोपरान्त स्वीकार किया जा सकता है।
- 26- निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी पंजीकरण, श्रम विभाग पंजीकरण आदि की स्वप्रमाणित प्रतियाँ व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा पत्र इस आशय का कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य हैं नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
- 27- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 28- स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त व्यय का भुगतान राज्य वित्त आयोग अथवा निकाय के अपने स्रोतों से धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
- 29- निविदा के साथ संलग्न 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि व बैंक चालान रसीद की मूल प्रति तथा शपथ पत्र हैसियत तथा चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ व आदि वांछित अभिलेख निविदा के साथ स्कैन करना एवं हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा खुलने से पूर्व (कार्य दिवस में) कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव के निर्माण विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- 30- यह कि कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें कार्यदायी संस्था, ठेकेदार/फर्म, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता का नाम मो० नं० सहित तथा कार्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा सम्बन्धित कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व, मध्य व पूर्ण होने के पश्चात लोकार्पण शिलापट सहित जियोटैग फोटोग्राफ कार्य समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 31- कार्य में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण किसी शासकीय संस्था से आवश्यकतानुसार कराना होगा तथा कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्री के रॉयल्टी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 32- यह कि किसी भी शर्त में शिथिलता बरतने का अधिकार उचित कारणों सहित अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी में निहित होगा।
- 33- यह कि कार्य के दौरान सभी प्रकार के सुरक्षात्मक व्यवस्था सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को करवाना होगा यदि किसी प्रकार की सुरक्षा प्रबन्ध में कमी के कारण कोई दुर्घटना घटित होती है, जिसमें जन एवं आर्थिक क्षति होती है तो उक्त स्वीकृत कार्य कराने वाली फर्म/ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उक्त में पालिका का कोई उत्तरदायित्व न होगा।
- 34- यह कि कार्य के दौरान किसी प्रकार का यातायात प्रभावित न हो।
- 35- यह कि यदि राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड योजना की उपभोग अवधि समाप्त हो जाती है तो शासन द्वारा पुनः समय वृद्धि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- 36- यह कि समस्त कार्यों को निविदा सूची में उल्लिखित स्थानों/स्थलों पर ही कराया जाये, यदि किसी कार्य के निर्धारित स्थल में परिवर्तन पाया जायेगा तो उक्त कार्य को श्रमदान घोषित किया जायेगा, जिसका भुगतान पालिका द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 37- सभी प्रकार के न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद उन्नाव का क्षेत्राधिकार होगा।
- 38- यदि किसी फर्म/ठेकेदार द्वारा बिना जमानत धनराशि व बिना निविदा शुल्क के निविदा डालता है तो वह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में संस्था से प्रथम करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

- 39- यह कि शासनादेश सं०- 2228/33-3-2020-38/2020 दिनांक 30-09-2020 के अनुसार टेण्डर प्रक्रिया में सामान्यतः 03 या उससे अधिक टेकनिकली क्वालीफाइड बिडर होने चाहिये, इससे कम होने पर सम्बन्धित निविदा को टेकनिकल क्वालीफाइड में अपात्र करते हुए वित्तीय निविदा के लिये अर्ह नहीं होगा।
- 40- उपरोक्त कार्य धनांक में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है, जी०एस०टी० की धनराशि निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगी।
- 41- निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी०एस०टी पंजीकरण, श्रम विभाग पंजीकरण आदि की स्वप्रमाणित प्रतियां व 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा पत्र इस आशय का कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य हैं नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
- 42- शासनादेश संख्या- 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30-06-2021 नगर विकास अनुभाग-9 (Standard Operating Procedure SOP) के बिन्दु सं० 5.5 के अनुसार किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 43- सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान सम्बन्धित निधि/राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।


अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

पत्रांक : 4140 /अभि०वि०/2023-24/6442
प्रतिलिपि :

दिनांक : 23-2-2024

- 1) जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।


अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
01/2